

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-बिसौली, बदायूँ

पत्रांक :- 2683 / वि०वि०ख०बि०/रा० दिनांक ..... 23-3-13  
विषय :- नये विद्युत कनेक्शन/नाम परिवर्तन/अतिरिक्त भार व भार घटाने के सम्बन्ध में।

श्री सेवेरा फाउंडेशन % शांतिवा कालेज एजू केरा  
पुत्र श्री श्री बिसौली रोड सदसवान

कनेक्शन संख्या नया कने 5KW

प्रिय महोदय,

मैं आपको उपरोक्त स्वीकृत हेतु विद्युत कनेक्शन अनुबन्ध करने के लिए स्वीकृत प्रांकलन संख्या 672 के अनुक्रम में निम्नलिखित शर्तें सूचित कर रहा हूँ।

विद्युत शक्ति श्रेणी तथा विधा 12/110V A.C. Ph. बत्ती पंखा सहित जो कि केवल स्वीकृत भार सीमा से ही प्रयोग किया जाता है कृपया निम्नलिखित रकम जमा करें -

1. मीटर की कीमत	रु०	<u>7018-00</u>
2. प्रोसेस चार्ज	रु०	.....
3. सिस्टम लोडिंग चार्ज	रु०	<u>1,500-00</u>
4. सर्विस कनेक्शन चार्ज	रु०	<u>168198-00</u>
5. जमानत की धनराशि	रु०	<u>5000-00</u>
योग	रु०	<u>1,81,716-00</u>

विद्युत खर्च करने के लिए न्यूनतम उपयोग गारन्टी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप होगी। अतः आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप उपरोक्त रकम इस कार्यालय में 2 बजे से पहले जमा कर तथा उसके बाद 100 रु० के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एक फोटो तथा रसीदी टिकट के साथ दो गवाही के साथ इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को 3.30 बजे सायं तक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के लिए पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपस्थित हों। यदि दी गई तिथि तक उपरोक्त रकम जमा नहीं हुई और अनुबन्ध पर हस्ताक्षर न हुए तो कनेक्शन बगैर नोटिस के रद्द समझा जायेगा।

नोट :- कृपया पूर्व में जमानत की राशि की मूल रसीद यदि कोई हो तो साथ लायें।

नोट - सुपरवीजन चार्ज के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा स्वयं सामग्री खरीद कर लाईन का निर्माण कराना होगा व खरीद के वाउचरों की छाया प्रतियाँ कार्यालय में जमा करनी होगी।

सहायक अभियन्ता (राजस्व)

कृते अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड बिसौली, बदायूँ